पूर्व मध्य रेलवे
पूर्व मध्य रेलवे

पूर्व मध्य रेल
East Central Railway Railway

EAST CENTRAL RAILWAY
EAST CENTRAL RAILWAY
कार्यालय
महाप्रबंधक / कार्मिक
हाजीपुर

RBENo.- 20/15

CPO's Sl. No. 35/15

No. E/207/0/ECR/HJP

dated : 8/4/15

1. CAO(Con)/उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू०म०रे०, हाजीपुर
3. DRM/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पूमरे / हाजीपुर।
6. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
7. CWM/पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर।
8. Sr. DPO/पूमरे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
9. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
10. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
11. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पूमरे / हाजीपुर

विषय / Sub: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण - सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के दावाओं के साथ वचन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में.

संदर्भ / Ref: Rly. Bd's letter no. F(E)III/2008/PN1/13 dt. 7/3/11

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।
DA : As above.

8/4/15
(एम० के० चौधरी)
सकाधि / ESM एवं रूलिंग
कृते महाप्रबंधक / कार्मिक / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित :

1. महासचिव / ईसीआरकेयू / पूमरे / हाजीपुर ।
2. महासचिव / एस०सी० / एस०टी० एशोसिएशन / पूमरे / हाजीपुर ।
3. [illegible] कृपया इसे नोट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. महासचिव / ऑल इंडिया एससी एसटी रिजर्वेशन / पूमरे / हाजीपुर

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व-मध्य रेल हाजीपुर
रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 05
दिनांक 28/04/15

आरबीई सं. 20/2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं.एफ(ई)III/ 2008/पीएन1/13 **नई दिल्ली, दि.: 17.03.2015.**

महाप्रबंधक/वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन इकाइयाँ,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

East Central Railway, Hajipur.

विषय- पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के कागज़ातों के साथ वचन-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

modification of Form 5 required ?

उपर्युक्त विषय पर पेंशन एवम् पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपीएण्डपीडब्ल्यू) के दिनाँक 7 मई, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/27/2011- पीएण्डपीडबल्यू(ई) की एक प्रति सूचना एवम् अनुपालन हेतु संलग्न है। ये अनुदेश यथोचित-परिवर्तनों सहित रेलों पर भी लागू होंगे। उक्त का.ज्ञा. में उल्लिखित सीसीएस (पेंशन) नियम के फॉर्म 5 का तदनुरूपी फॉर्म रेल सेवा पेंशन नियम, 1993 का फॉर्म 8 है।

2. कृपया पावती दें।

(अमिताभ जोशी)
उप निदेशक वित्त(स्था.)III,
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त

Please circulate.

Dy Cashier
Asstt Acctt
Supdt

RBE No. 20/2015

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. F(E)III/2008/PN1/13 **New Delhi, Dated: 17.03.2015.**

The GMs/FA&CAOs,
All Indian Railways/Production Units.
(As per mailing list)

Subject: Simplification of pension procedure – submission of undertaking by retiring Government servant along with pension papers – reg.

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/27/2011-P&PW(E) dated 7th May, 2014 on the above subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on the Railways also. Form 5 of CCS(Pension) Rules mentioned in the said O.M. corresponds to Form 8 of Railway Services (Pension) Rules, 1993.

2. Please acknowledge receipt.

(Amitabh Joshi)
Deputy DirectorFinance(Estt.),
Railway Board.

DA: As above.

Important Instruction

No. 1/27/2011-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi,
the 7th May, 2014

Office Memorandum

Sub: Simplification of pension procedure – submission of undertaking by retiring Government servant along with pension papers - reg.

'The Scheme for Payment of pensions to Central Government Civil Pensioners through Authorised Banks', issued by the Central Pension Accounting Office provides for an undertaking to be submitted by the retiring Government servant/pensioner to the pension disbursing bank before commencement of pension. The pensioner undertakes to refund or make good any amount to which he is not entitled.

2. It has been found that the first payment of pension after retirement gets delayed mainly due to two reasons. One, the delay in receipt of intimation by the pensioner that pension papers have reached the bank and two, delay on part of the pensioner in approaching the bank for submission of undertaking.

3. The feasibility of submission of undertaking by the retiring Government servant along with pension papers had been under consideration in the Government for some time. The following simplification has therefore been approved with the concurrence of Department of Expenditure, vide their I.D. No.130/E.V/2014, dated 24th February, 2014. The required undertaking may be obtained by the Head of Office from the retiring Government servant along with Form 5 and other documents before his retirement. This undertaking shall be forwarded to the pension disbursing bank along with the Pension Payment Order by the Accounts Officer/CPAO following the usual procedure. The bank shall credit the pension to the account of the pensioner as soon as this Undertaking is received along with the pension documents.

4. The pensioner would no longer be required to visit the bank to activate the first payment of pension. Therefore, after ascertaining that the Bank's copy has been despatched by the Central Pension Accounting Office, the pensioner's copy of the Pension Payment Order (PPO) may be handed over to him at the time of retirement along with other retirement dues. This should be feasible in all cases where the Government servant had submitted pension papers within the time-limits prescribed in the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.

5. An employee posted at a location away from the office of the Head of Office or who for any other reasons feels that it would be more convenient to him to obtain his copy of PPO from the bank, may inform the Head of Office of his option in writing while submitting his pension papers.

6. Office of Controller General of Accounts is requested to instruct all Pay and Accounts Offices and all pension disbursing banks to follow the above procedure as well as make necessary amendments to the pension sanction and payment procedures and the Scheme Booklet.

7. All Ministries/Departments are requested to follow the above procedure henceforth. Department of Posts and Department of Telecommunications are requested to make suitable amendments to the instructions to the Accounts Officers and pension disbursing Post Offices/Banks to adhere to the above procedure.

(D.K. Solanki)
Under Secretary to the Government of India
Ph: 24644632

1. All Ministries/Departments of the Government of India as per list
2. O/o Controller General of Accounts, 7th Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi.
3. Central Pension Accounting Office, Trikoot –II, Bhikaji Kama Place, New Delhi.
4. Department of Expenditure (E.V Branch, w.r.t. their I.D. No.130/E.V/2014, dated 24th February, 2014), North Block, New Delhi.
5. Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi
6. Department of Telecommunications, Sanchar Bhavan, New Delhi.

SPECIMEN LETTER OF UNDERTAKING BY THE PENSIONER

Date _____

To

The Branch Manager

_____ (Bank)

_____ (Branch & address)

Dear Sir,

Payment of pension under A/C No._____through your Bank.

In consideration of your having, at my request, agreed to make payment of pension due to me every month by credit to my account with you. I the undersigned agree and undertake to refund or make good any amount to which I am not entitled or any amount which may be credited to my account in excess of the amount to which I am or would be entitled. I further hereby undertake and agree to bind myself and my heirs, successor; executors and administrators to indemnify the bank from and against any loss, suffered or incurred by the bank in so crediting my pension to my account under the scheme and to forthwith pay the same to the bank and also irrevocably authorise the bank to recover the amount due by debit to my said account or any other account/ deposits belonging to me in the possession of the bank.

Yours faithfully,

Signature:

Name:

Address:

Witnesses:

(1) Signature:

Name:

Address:

Date:

(2) Signature:

Name:

Address:

Date:

सं. 1/27/2011-पी एंड पी डब्लयू (ई)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
7 मई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पेंशन प्रक्रिया का सरलीकरण- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन के कागजातों के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा जारी 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केंद्रीय सरकार के सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन अदायगी स्कीम' में यह व्यवस्था है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक/ पेंशनभोगी द्वारा पेंशन शुरू होने से पहले वितरक बैंक को वचन पत्र प्रस्तुत करना है। इस वचन पत्र में पेंशनभोगी उस धनराशि को वापस करने या उसकी प्रतिपूर्ति करने का वचन देता है जिसका वह हकदार नहीं है।

2. यह पता चला है कि सेवानिवृत्ति के बाद पहली पेंशन के भुगतान में मुख्यत: दो कारणों से देरी होती है। पहला, पेंशनभोगी द्वारा इस सूचना को प्राप्त होने में देरी कि पेंशन के कागजात बैंक में पहुंच गए हैं, और दूसरे पेंशनभोगी की ओर से वचन पत्र प्रस्तुत करने के लिए बैंक पहुंचने में देरी।

3. कुछ समय से सरकार द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा पेंशन कागजात के साथ वचन पत्र प्रस्तुत करने की संभावना पर विचार किया जाता रहा है। अत: व्यय विभाग की उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 द्वारा व्यक्त सहमति से निम्नलिखित सरलीकरण को मंजूरी प्रदान की गई है। सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति से पूर्व फार्म 5 एवं अन्य दस्तावेजों के साथ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उससे वांछित वचन पत्र लिया जा सकता है। सामान्य प्रक्रिया अपनाते हुए लेखा अधिकारी/ सीपीएओ द्वारा पेंशन अदायगी आदेश के साथ इस वचन पत्र को पेंशन वितरक बैंक को अग्रेषित कर दिया जाए। पेंशन दस्तावेजों के साथ इस वचन पत्र के प्राप्त होते ही बैंक, पेंशनभोगी के खाते में पेंशन जमा कर दें।

4. अब पेंशनभोगी को पहली पेंशन का भुगतान शुरू कराने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन अदायगी आदेश की बैंक प्रति भेज दी गई है, पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति की अन्य देयताओं के साथ पेंशन अदायगी आदेश की पेंशनभोगी वाली प्रति भी सौंप दी जाए। यह उन सभी मामलों में व्यवहार्य होगा जिनमें पेंशनभोगी ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में निर्धारित समय सीमा के भीतर पेंशन कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं।

5. यदि कोई कर्मचारी कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से दूर किसी स्थान पर तैनात है या जो किसी अन्य करणवश ऐसा मानता है कि उसे अपनी पीपीओ की प्रति बैंक से लेना अधिक सुविधाजनक होगा, तो वह अपने पेंशन कागजात जमा करते समय कार्यालयाध्यक्ष को अपने इस विकल्प के बारे में लिखित रूप से सूचित कर सकता है।

DY CPO-HRD

6. महालेखा नियंत्रक कार्यालय से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों और सभी पेंशन वितरक बैंकों को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुपालन तथा पेंशन स्वीकृति और अदायगी प्रक्रिया एवं स्कीम पुस्तिका में यथोचित संशोधन करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया अब से उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करें। डाक एवं दूरसंचार विभाग से अनुरोध किया जाता है कि वे कृपया लेखा अधिकारियों और पेंशन वितरक डाक घरों/बैंकों को दिए जाने वाले निर्देशों में उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन करने संबंधी यथोचित संशोधन करने का कष्ट करें।

(डी.के. सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, सूची के अनुसार
2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, 7वां तल, लोकनायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
3. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली
4. व्यय विभाग (ई.वी शाखा को उनके दिनांक 24 फरवरी, 2014 के आईडी सं. 130/ई.वी/2014 के संदर्भ में), नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
5. डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली
6. दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली।